104/2016 इस्तेगासा - तहसीलदार

21-3-18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है वादीगण अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जमालपुरा में गत खसरा नं0 345 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा राजकीय भूमि थी । दिनांक 5-2-1972 को गत ख0नं0 345 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा गत ख0नं0 215 में से 3 बीघा 10 बिस्वा कुल 6 बीघा भूमि नियमन/आवंटन हुई थी । क्योंकि इस आराजी पर वादीगण के पूर्वाधिकारी बल्लाराम का पहले से कब्जा काश्त रहा । नियमनके बाद इन्तकाल सं0-175 के द्वारा गत ख0नं0 345 के 345/2 कायम हुये जिसमें 2 बीघा 10 बिस्वा का वादीगणको खातेदार दर्ज किया गया। नामान्तरकरण सं0-175 की पालना राजस्व रेकार्ड में हुई उसी दौरान बन्दोबस्त की कार्यवाही शुरू हो गई। जिसमें बलाराम के ख0नं0 345 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के हाल ख0नं0 583 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 578 रकबा 0.12 हैक्टर, ख0नं0 521 रकबा 0.14 हैक्टर तथा ख0नं0 543 रकबा 0.14 हैक्टर कायम किये गये। 2 बीघा 10 बिस्वा का हैक्टर में 0.63 हैक्टर बनता है किन्त बन्दोबस्त में

ख0नं0 543, 521, 578, 583 का कुल रकबा 0.55 हैक्टर ही बनता है। इस प्रकार वादीगण के पूर्वज बल्लाराम के पास नियमन रकबे से कम रकबा है । ख0नं0 543 रकबा 0.14 हैक्टर का सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि यह आराजी वादीगण के पूर्वज बल्लाराम के नियमन शुदा है ।ख0नं0 543 रकबा 0.14 हैक्टर के नियमन के विरूद्ध विद्वान जिला कलेक्टर के यहां मदनलाल महाजन द्वारा अपील की गई जिसको दिनांक 12-1-1994 को खारिज कर दी इस प्रकार यह आराजी वादीगण की है ।अतः ख0नं0 543 रकबा 0.14 हैक्टर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय पारित किया है ।उक्त आराजी पर धारा-16 राजस्थान काश्तकारी अधि--नियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा न ही अब्दूल रहमान बनाम स्टेट के केस के प्रतिपादित प्रतिपादित सिद्धान्त भी विवादित आराजी पर लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने अब्दूल रहमान के केस की गलत व्याख्या कर निर्णय व डिक्री पारित की है।गत ख0नं0 345 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता बल्लाराम को आंवटित हुई है। नियमन आदेश दिनांक 18-2-1972 को हुआ जो आदेश अस्तित्व में ऐसी सूरत में अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने आवंटन आदेश एवं तत्कालीन अपर कलेक्टर झुन्झुनू के

अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।जमाबन्दी सं02072 से 2075 2060 से 2063 में ख0नं0 543 रकबा 0.14 हैक्टर की खातेदारी चारागाह अन्य सामान्य काम हेतु किस्म बजंड दर्ज है ।सम्वत 2056 से 2059, 2052 से 2055, 2044 से 2047 में ख0न0 543 रकबा 0.14 हैक्टर की खातेदारी सिवायचक नाकाबिल काश्त गोचर भूमि दर्ज है ।मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0नं0 345/1 के हाल ख0नं0 543 रकबा ,.14 हैक्टर बने हैं । गत ख0नं0 345/2 के हाल ख0नं0 583 रकबा 0.05 हैक्टर बने हैं नामान्तरकरण सं0-175 में ख0नं0 अन्य आराजी के अलावा ख0नं0 345/1 रकबा 8 11 बिस्वा का बल्लाराम पुत्र मंगलाराम के नाम स्वीकार किया गया है । मु0नं069/93 मदनलाल बनाम बल्लाराम अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू में ख0नं0 345 व ख0नं0215 के बाबत किया गया जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राज0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट दिनांक 12-1-94 को खारिज किया गया है ।अदालत मातहत ने इस निर्णय बाबत अपने निर्णय में लिख दिया कोई ठोस कारण नहीं ।अदालत मातहत ने प्रस्तुत दस्तावेजों को सही तरीक से नहीं देखते हुये निर्णय पारित किया हैजबकि विवादित आराजी का नामान्तरकरण सं0-175 अपीलान्ट के नाम तस्दीक किया गया ।जिस पर भी अदालत मातहत ने अपना निर्णय नहीं दिया है ।अत: हम प्रस्तुत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरो एआईआर 1966(एस0सी0) पेज-1061, आरएलडब्लू 2007(1)(राज0

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	साक्ष्य पर पुनः अवलोन कर निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12-3-16 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में मौके की जांच कर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक31-5-2018 को उपस्थित होवें । 30-5-20* निर्णय सुनाया गया । 21/3/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	